UPSH010037342026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष सं0–02, शाहजहाँपुर।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1287/2026</u>

सुमित गुप्ता उम्र 32 वर्ष पुत्र राधाकृष्ण गुप्ता, निवासी 141 हुण्डालखेल, थाना कोतवाली, जिला शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–756/2022,
धारा–504, 506 भा0दं0सं0 एवं
धारा–3(2)Va एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहाँपुर।

<u>दिनांक–27.05.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सुमित गुप्ता** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पैरोकार मोनी प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये और उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध प्रकट किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा गीता देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 पर, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी कि वह मोहल्ला एमनजई जलालनगर में किराये के मकान में रहती है और उसके पति रेलवे के पेंशनर है। उसके पति ने सुमित गुप्ता पुत्र कृष्ण स्वरूप गुप्ता नि0मो0 हुण्डाल खेल थाना कोतवाली जिला शाहजहॉपुर को पर्सनल लोन करवाने के लिए कागज दिये थे, साथ में 25,000/–रु0 दिया था। उक्त सुमित ने उसका लोन 15 दिन में करवाने का वादा किया था। जब उसके पति ने 20 दिन बाद लोन नहीं हुआ तो सुमित गुप्ता को फोन किया, लोन की जानकारी ली। सुमित गुप्ता उसके घर पर आये और सुमित गुप्ता ने कहा कि एक ब्लेंक चेक हस्ताक्षर करके गारण्टी बतौर बैंक में जमा करने के लिए दो तो उसके पति ने चेक दे दिया। काफी समय लोन न होने पर उसके पति ने दिये हुये 25,000/– रुपये व चेक मांगा तो उक्त सुमित गुप्ता टाल–मटोल करने लगा और अन्त में रुपया व चेक वापस करने से मना कर दिया और दिनांक 01.05.2022 को समय 6.30 बजे शाम को सुमित व दो अज्ञात व्यक्ति उसके घर पर घुस आये और जाति भंगनिया साली तुझे व तेरे पति को मार डालेंगे और बराबर गाली देते रहे। जब उसने गाली देने से मना किया तो उक्त सुमित गुप्ता ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और कपड़े फाड़ दिये, उसके पति घर पर नहीं थे। वह चिल्लाई तो आसपास के काफी लोग आ गये, तभी सुमित गुप्ता व दो अज्ञात व्यक्ति पर्दे में आग लगाकर भाग गये। उसके पति जब घर आये थाना सदर बाजार गयी और प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर माननीय न्यायालय की शरण में आयी है।

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.05.27 17:12:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर रंजिशन झूंठा फँसाया गया है। उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष है। प्रथम सू. चना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के साथ गंदी–गंदी गाली देने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करने तथा. जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष से कम दण्डनीय है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पूर्व में किसी अन्य मामलों में सजायाफ्ता हो, ऐसा कोई प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई तर्क अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इस केस में अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।

माननीय न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Satendra Kumar Antil Vs Central Bureau Of Investigation and Another reported in (2021)10 SCC 773** में प्रतिपादित मत को ध्यान में रखते हुए मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **सुमित गुप्ता** द्वारा **मु0 25,000/–रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध, जैसा करने का उस पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः 27.05.2026

(आशीष वर्मा)
विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष सं0–2, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6211